□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□ज□ □□□
□□□□र्□□ प्रश्न □ख□□ : 22
19 □□म□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□

बिहार म आयुष्मान भारत योजना

*22. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करवाने का निणय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत बिहार म अब तक कितने लाभार्थियों को काड जारी किए गए ह; और

(घ) आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार म इलाज के लिए चयनित अस्पतालों का ब्यौरा क्या है?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री□ (□□. □□ □□□)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 19 □□म□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□□□□ज□ सभा तारां□कित प्रश्न □□20 □□□त□□ □
□□ले□□□□ □□□□□

(क) और (ख): सरकार ने पहले ही सितंबर, 2018 म आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) शुरू को है तां कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डाटाबेस के अनुसार वंचित और व्यावसायिक मानदण्डों के आधार पर आबादी के गरीब और संवेदनशील वग से संबद्ध लगभग 10.74 करोड़ (लगभग 50 करोड़ लोगों) परिवारों को 5 लाख रुपए तक को नगद अस्पतालीकरण सुविधाएं प्रदान को जा सक। 33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एबी-पीएमजेएवाई कायान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कि ए गए ह। स्कोम को प्रमुख विशेषताएं अनुलग्नक म दी गई ह।

(ग): एबी-पीएमजेएवाई एक पात्रता आधारित स्कोम है और स्कोम के अंतगत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को पंजीकरण या नामांकन करवाना अपेक्षित नहों है। तथापि, लाभार्थियों को उनको पात्रता के बारे म जानकारी देने तथा पीएमजेएवाई के अंतगत लाभ प्राप्त करना सरल बनाने के लिए काड जारी कि ए गए ह। दिनांक 13.11.2019 के अनुसार, बिहार म 27,63,944 लोगों को स्कोम के अंतगत काड जारी कि ए गए ह।

(घ): दिनांक 13.11.2019 के अनुसार, बिहार म एबी-पीएमजेएवाई के अंतगत कुल 740 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनम से 171 प्राइवेट अस्पताल ह तथा 569 सरकारी अस्पताल ह। सूचीबद्ध अस्पतालों का ब्यौरा www.pmjay.gov.in पर उपलब्ध है।

****

□□ष□□□ □□□□-प्रधानमंत्री जन आरोग्य □□□□□

1. एबी-पीएमजेएवाई एक कद्र प्रायोजित स्कोम है। यह पूणत: सरकार द्वारा वित्तपोषित स्कोम है तथा निधियन वित्त मंत्रालय के विद्यमान दिशा निदशों के अनुसार कद्र और राज्य द्वारा वहन किया जाता है।

2. पीएमजेएवाई के अंतगत लगभग 10.74 करोड़ गरीब और संवेदनशील परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को द्वितीयक और तृतीयक अस्पतालीकरण के लिए प्रति वष 5 लाख प्रति परिवार तक का हेल्थ कवरेज प्रदान किया जाता है।

3. पीएमजेएवाई एक पात्रता आधारित स्कोम है। इस स्कोम म एसईसीसी डाटाबेस के अनुसार वंचित और व्यावसायिक मानदण्ड के आधार पर गरीब और संवेदनशील परिवारों को शामिल किया जाता है।

4. पीएमजेएवाई के अंतगत पूरे भारत म किसी भी पैनलबद्ध अस्पताल (सरकारी और निजी दोनों) म सेवा बिदु पर ही लाभार्थी के लिए मुफ्त और साक्ष्य रहित सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। दूसरे शब्दों म, एक राज्य का कोई भी लाभार्थी, देश म कहों भी पैनलबद्ध अस्पताल से लाभ प्राप्त कर सकता है।

5. पीएमजेएवाई के तहत, राज्य कायान्वयन को रूपरेखा का चयन करने के लिए स्वतंत्र ह। वे स्कोम को बीमा कंपनी या सीधे न्यास/ सोसायटी या मिश्रित मॉडल के माध्यम से कायान्वित कर सकते ह।

6. परिवार के आकार पर कोई प्रतिबंध नहों है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि नामोदिष्ट परिवारों के सभी सदस्य विशेषकर बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लाभाथ अवश्य शामिल किया जाए।

7. एक सुपरिभाषित शिकायत एवं लोक परिवाद निवारण तंत्र मौजूद है जिसके माध्यम से शिकायतों/ परिवादों का पंजीकरण, पावती, संगत कारवाई हेतु आगे बढ़ाना, समाधान और निगरानी को जाती है।

8. पीएमजेएवाई के तहत रीयल टाइम अंतरण डाटा को भूमिका और कायान्वयन के लिए मजबूत आईटी प्रणाली सृजित को गई है।

9. राष्ट्रीय स्तर पर, स्कोम के कायान्वयन का प्रबंधन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संबद्ध कायालय के रूप म राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) स्थापित किया गया है।

10. पैकेज, प्रचालन दिशा निदशों और मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा www.pmjay.gov.in पर उपलब्ध है।